भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2583

14 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

खनन पट्टा

2583. श्री भोला सिंहः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल खनन के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने खनन पट्टा देने के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर का मानक तय करने का निर्णय किया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अवैध खनन के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

<u>खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)</u>

(क) से (ख) : सरकार ने खनिज निक्षेपों के संरक्षण और विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा के हित में वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढ़ंग से खनन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 अंतर्गत खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर, 1988) बनाए है । एमसीडीआर, 1988 आण्विक खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को छोड़कर सभी प्रमुख खनिजों के संबंध में लागू है । भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा किए गए खानों के निरीक्षण के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा, ऊपरी मिट्टी के हटने, ओवरबर्डन के भंडारण, भूमि-सुधार और पुर्नवास, भू-कंपन के प्रति सावधानी, सतह के धसने का नियंत्रण, वायु प्रदूषण के प्रति सावधानी, जहरीले तरल के बहिष्राव, ध्वनि के प्रति सावधानी, अनुमत्य सीमाएं और मानक, वनस्पत्ति की बहाली आदि के लिए एमसीडीआर, 1988 के नियम 31 से लेकर 41 तक के विभिन्न नियमों की अनुपालना की जांच की जाती है । यदि किसी पट्टेदार को ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो इसकी अनुपालना के लिए यथोचित समझी जाने कार्रवाई शुरू की जाती है ।

ऊपरी मिट्टी का उपयोग, भूमि-सुधार और पुर्नवास, वनीकरण, अपशिष्ट डम्पों का स्थिरीकरण, खनन जल का शोधन और निपटान, विस्फोटन द्वारा उत्पन्न भू-कंपन/वायु प्रदूषण/जल प्रदूषण के लिए सुरक्षात्मक उपायों को आईबीएम द्वारा पर्यावणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) के अंर्तगत अनुमोदित खनन योजना/खनन की स्कीम में शामिल किया गया है । खनिज क्षेत्र के भू-सुधार और पुर्नवास, जलगुणता प्रबंधन, वायुगुणता प्रबंधन, ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, टेलिंग डम्प प्रबंधन के लिए प्रगामी खान समापन योजना/अंतिम खान समापन योजना के तहत प्रस्ताव शामिल किए जा रहे हैं ।

(ग) : दिनांक 04.03.2016 को अधिसूचित खनिज (आण्विक और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2016 में नियम 12(5) के तहत यह निर्धारित किया गया है कि खनन पट्टा के अनुदान के लिए न्यूनतम क्षेत्र पांच हेक्टेयर से कम नहीं होगा ।

(घ) : खान और खनिज (विकास और विनियमन), अधिनियम 1957 की धारा 23ग अवैध खनन की रोकथाम के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम के लिए और राज्य में उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए ऐसे नियम बनाती हैं ।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आईबीएम को प्रस्तुत अवैध खनन संबंधी तिमाही विवरणियों के आधार पर देश में वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही) सूचित अवैध खनन के कुल मामलें और राज्य सरकारों द्वारा वसूला गया जुर्माना निम्नलिखित अनुसार है :

अवैध खनन के मामले					**2012-13 से 2015-16 तक की गई कार्रवाई (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही)**			
	2012-13	**2013 –14**	**2014-15**	**2015 – 16 (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही)**	**दर्ज एफआईआर (सं)**	**दर्ज न्यायिक मामले (सं.)**	**जब्त वाहन (सं.)**	**राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (लाख रू. में)**
कुल योग	98597	88689	97149	48467	14458	43091	181174	117081.683

******